INDIA

मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए वित्तीय सहायता की योजना

SCHEME OF FINANCIAL ASSISTANCE FOR MODERNISATION OF MADRASA EDUCATION

1994

सत्यमेव जयते

-54
379.12
IND-S

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)
भारत सरकार
नई दिल्ली

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF EDUCATION)
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI

मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए वित्तीय सहायता की योजना

SCHEME OF FINANCIAL ASSISTANCE FOR MODERNISATION OF MADRASA EDUCATION

1994

NIEPA
G3780

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)
भारत सरकार
नई दिल्ली

MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF EDUCATION)
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI

मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए वित्तीय सहायता की योजना

3780

1. पृष्ठभूमि

भारत सरकार अरबी तथा फारसी सहित प्राचीन भाषाओं सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण, सामाजिक सौहार्द तथा राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के महत्व के प्रति जागरूक है। मदरसा तथा मकतबा जैसी परम्परागत संस्थाएं सदियों से ही अरबी तथा फारसी भाषाओं तथा इस्लामिक परम्पराओं की शुरुआत से समृद्ध हुई देश की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1980 में गठित अल्पसंख्यकों पर एक अत्यन्त विशिष्ट पैनल ने मदरसा शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करते समय इसको आधुनिक बनाने की अवश्यकता पर बल दिया है। इसमें कहा गया है कि "मकतबा तथा मदरसा जैसी धार्मिक संस्थाएं अपने छात्रों को सामान्य तथा प्रारम्भिक तकनीकी शिक्षा प्रदान करते में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।"

शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कुछ कार्यक्रमों का सुझाव देने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जुलाई, 1990 में गठित किए गए अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए एक दल ने भी यह सिफारिश की कि मदरसा जैसी परम्परागत संस्थाओं की उनकी अपनी पाठ्यचर्या में विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा सहायता प्रदान की जानी चाहिए। दल की सिफारिशों पर निर्णय लेने के लिए गठित की गई अधिकार प्राप्त समिति ने भी इन सिफारिशों का पूरी तरह से समर्थन किया है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम पर मंत्रि-मडल समिति ने भी मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए एक योजना तैयार करने का सुझाव दिया।

मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के विभिन्न पहलुओं पर प्रारम्भिक सूचना के लिए अपर सचिव, शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में 10 सितम्बर, 1991

SCHEME OF FINANCIAL ASSISTANCE FOR MODERNISATION OF MADRASA EDUCATION

1. BACKGROUND :

The Government of India is conscious of the importance of Indian classical languages including Arabic and Persian, preserving cultural heritage, maintaining social harmony and national unity. Traditional institutions like Madrasas and Maktabs have been playing a very significant role for centuries in preserving Arabic & Persian languages and cultural heritage of the country enriched by synergic introduction of Islamic traditions. The High Power Panel on Minorities, set up by the Government of India in 1980, while reviewing the Madrasa Education System, has emphasised the need for its modernisation. It states : "Religious institutions like Maktabs and Madrasas can play a useful role in imparting general and elementary technical education to their students."

The Group on Minorities' education which was set up by the Department of Education in July, 1990 to suggest some programmes for development of educationally backward minorities has also recommended that traditional institutions like Madrasas should be encouraged and assisted to include Science, Mathamatics and English in their curricula. The Empowered Committee which was set up to take decisions on the recommendations of the group referred to above has fully endorsed this recommendation. The Cabinet Committee on 15-Point Programme for Minorities' Welfare has also suggested formulation of a scheme on modernisation of Madrasa Education.

In order to have a first hand information on different aspects of modernisation of Madrasa Education, a meeting of eminent representatives of Madrasa managements and State Education authorities was convened under the chairmanship of Additional Secretary, Department of Education on Sept, 10, 1991. The con-

को मदरसा प्रबन्धों के प्रमुख प्रतिनिधियों तथा राज्य शिक्षा प्राधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। इस दल का यह मत था कि यह योजना पूर्णतः स्वैच्छिक तथा केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित होनी चाहिए।

कार्य योजना 1986 में यह कहा गया है कि परम्परागत स्कूलों में शिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं में स्वैच्छिक आधार पर विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी को भी पढ़ाने के प्रयास किए जायेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में तैयार की गई कार्य योजना 1992 में मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए निम्नलिखित कहा गया है :

> "परम्परागत संस्थाओं में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी तथा हिन्दी आदि को शुरू करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा एक केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय योजना तैयार की जाएगी तथा इसे ऐसी ही संस्थाओं द्वारा पूर्णतः स्वैच्छिक आधार पर स्वीकार किया जाएगा।"

2. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य मदरसा तथा मकतबा जैसी परम्परागत संस्थाओं को अपनी पाठ्यचर्या में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिन्दी तथा अंग्रेजी को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें प्रोत्साहित करना है। तथापि परम्परागत मदरसों तथा मकतबों को आधुनिक बनाने की यह प्रक्रिया पूर्णतः स्वैच्छिक होगी। यह योजना इन संस्थानों के छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के समकक्ष शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगी। इस प्रयोजन में योगदान देने वाली गतिविधियों के लिए मदरसों तथा मकतबों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पहले चरण अर्थात् आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, केवल प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को ही शामिल किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत, पहले चरण में मिडिल तथा सैकेण्डरी स्कूलों की प्राथमिक कक्षाएं भी शामिल की जाएंगी। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, दूसरे चरण में इस कवरेज को माध्यमिक स्तर के समकक्ष शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों तक बढ़ाया जाएगा।

3. योजना की कवरेज तथा वित्तीय पद्धति

मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए स्वैच्छिक संगठनों/सरकार द्वारा सहायता-प्राप्त संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना को, पहले चरण में निम्नलिखित मदों को शामिल करने के लिए तैयार किया गया है।

sensus of the group was that the scheme should be purely voluntary and should be fully funded by the Central Government.

The programme of Action-1986 states that efforts will be made to teach Science, Mathematics and English on voluntary basis in institutions imparting instructions in Traditional Schools. The Programme of Action of 1992 formulated in pursuance of National Policy on Education-1986 stipulated the following on modernisation of Madrasa Education :

> "A Centrally Sponsored /Central scheme for the introduction of Science, Mathematics, English and Hindi etc., in traditional institutions to be formulated by the Department of Education and to be adopted by such institutions purely on voluntary basis."

2. OBJECTIVE :

The objective of the Scheme is to encourage traditional institutions like Madrasas and Maktabs by giving financial asistance to introduce science, mathematics, social studies, Hindi and English in their curriculum. However, the process of modernisation of traditional Madrasas and Maktabs will be entirely voluntary. The scheme will provide opportunities to students of these institutions to acquire education compatable to the National Education System. Assistance would be given to Madrasas and Maktabs for the activities which contribute to this objective. In the first phase, i.e., during the Eighth Five Year Plan, institutions providing primary education only will be covered. The primary classes of middle and secondary schools will also be covered under the scheme in the first phase. The coverage could be extended to institutions providing education equivalent to secondary stage in the second phase, during the Ninth Plan.

3. COVERAGE AND FINANCIAL PATTERN OF THE SCHEME :

The scheme of financial assistance to voluntary organisations/ Government aided institutions for modernisation of Madrasa Education is designed to cover the following items in the first phase.

1. विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन तथा भाषाओं के शिक्षण के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हेतु शत-प्रतिशत (100%) वित्तीय सहायता।

इस योजना के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों का वेतन, सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त समान पद वाले शिक्षकों के वेतन के समकक्ष होगा। यदि पूर्ण दिवसीय शिक्षक उपलब्ध न हों अथवा शिक्षण कार्य अंशकालिक शिक्षकों द्वारा किया जाता हो तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों का वेतन, अरबी एवं फारसी आदि प्राच्चीन भाषाओं के क्षत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले वेतन के समकक्ष होगा। उस योजना के अन्तर्गत, अरबी तथा फारसी शिक्षकों के वेतन की सीमा 600/- रुपए प्रतिमाह है जिसमें से 75 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा दी जाती है तथा शेष 25 प्रतिशत स्वैच्छिक संगठन द्वारा दी जाती है।

वर्तमान योजना में, अपने पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना के अन्य मदों के अलावा शिक्षकों के वेतन के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

2. पुस्तक बैंकों की स्थापना तथा इन विषयों के लिए मदरसों में पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता।

3. विज्ञान किटों, गणित किटों तथा आवश्यक उपकरणों आदि का प्रावधान।

4. सहायता अनुदान समिति की स्वीकृति से अन्य कोई मद।

4. वित्तीय आवश्यकता

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में मदरसों/मकतबों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है, परन्तु यह अनुमान लगाया गया है कि इनकी संख्या लगभग 12,000 है। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों, जिन में देश भर की मुस्लिम जनसंख्या का अधिकांश भाग रहता है, में मदरसा की संख्या की सूचना अल्पसंख्यक शिक्षा दल की रिपोर्ट से प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य में मदरसों की संख्या 4000 तथा उत्तर प्रदेश में 1000 से अधिक है चूंकि यह योजना स्वैच्छिक है अतः सभी संस्थानों से इस योजना के कार्यान्वयन की आशा नहीं की जा सकती। पहले चरण में 250 संस्थानों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

I. Financial assistance to the extent of 100% for appointment of qualified teachers for teaching of Science, Mathematics, Social Studies and languages.

The salary for teachers appointed under this scheme will be the same as given to similar teachers appointed by the respective State Governments. In case full time teachers are not available or the teaching work is carried on by the part-time teachers, then the salary would be the same as that given under the scheme of Financial Assistance to Voluntary Associations working in the field of Classical Languages including Arabic and Persian. The limit of salaries to Arabic and Persian Teachers under that scheme is Rs. 600/- p.m. of which 75% is met by the Government and the remaining 25% is to be provided by the Voluntary Organisation.

In the present scheme, it is proposed to give 100% Central Assistance for salary in addition to other items of the scheme, in order to encourage the voluntary organisations to modernise their curriculum.

II. Assistance for establishment of book banks and strengthening of libraries in the Madrasas for these subjects.

III. Provision of Science kits, mathematics kits essential equipments etc.

IV. Any other item with the approval of Grant-in-Aid Committee.

4. FINANCIAL REQUIREMENT :

The exact number of Madrasas/Maktabs in various States/UTs is not available. But it is estimated that the number is about 12,000. Information on the number of Madrasas in Bihar and U.P., which together comprise a very large proportion of Muslim population in the country is available from the report of the Group on Minorities Education. According to this report there are more than 4000 Madrasas in Bihar 1000 in U.P. As the scheme is voluntary, not all institutions may be expected to implement the scheme. It is proposed to cover about 250 institutions in the 1st phase.

यदि प्रति शिक्षक 600 रुपए प्रतिमाह की अनुदान राशि मान ली जाए तो शिक्षकों के वेतन का वार्षिक अनुदान 7200 रुपए प्रतिवर्ष होगा तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए एक शिक्षक के लिए यह राशि 28,800 रुपए होगी क्योंकि इस योजना को वर्ष 1993-94 से कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है यदि पूर्ण दिवसीय शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं, तदनुरूप आंकड़े 26,400 रुपए प्रति शिक्षक प्रति वर्ष होंगे। तथा आठवीं योजना के लिए यह राशि 1,05,600 रुपए होगी। इसके अलावा पुस्तकों, विज्ञान किटों, गणित किटों आदि की खरीद के लिए 4000 रुपए की एक मुश्त अनुदान सहायता दी जाएगी। मदरसों/मकतबों में छात्रों की संख्या 40 से अधिक होने की स्थिति में, दूसरे शिक्षक के लिए भी सहायता प्रदान की जा सकती है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। उपर्युक्त गणना के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 250 मदरसों/मकतबों की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

5. पात्रता शर्तें :

1. इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए वे सभी स्वैच्छिक संगठन/समितियां/न्यास पात्र होंगे जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों के अधिनियमों अथवा वक्फ बोर्डों के अंतर्गत पंजीकृत हों।

2. इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केवल उन्हीं स्वैच्छिक एजेन्सियों पर विचार किया जाएगा जिनके अस्तित्व की अवधि तीन वर्ष की हो गई है।

3. ऐसे स्वैच्छिक संगठनों का गठन निम्नानुसार होना चाहिए :-

- संस्था के नियमों का समुचित संविधान हो।
- प्रबंध समिति का गठन उचित रूप से होना चाहिए तथा संविधान में इसके अधिकारों तथा कर्तव्यों का स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए।
- संगठन को स्वैच्छिक आधार पर अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए सुविज्ञ व्यक्तियों की सहभागिता प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए।
- यह संगठन किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह द्वारा लाभ के लिए संचालित न हो।

Assuming a grant of Rs. 600/- p.m. per teacher, the annual grant on teacher salary would be Rs. 7,200/- p.a. and Rs. 28,800/- for a single teacher for the Eighth Five Year Plan, as the scheme is proposed to be implemented from the year 1993-94. If, however, full time teachers are employed, the corresponding figures would be Rs. 26,400 per teacher per annum and Rs. 1,05,600 for the 8th Plan. In addition to this, a lump-sum grant of Rs. 4000/- for purchase of books, science kits, mathematics kits, etc. In case the number of students exceed 40 in the Madrasa/Maktabs, the assistance for a second teacher can also be provided.

An amount of Rs. 1 crore has been proposed for the Eighth Five Year Plan. On the basis of the above calculations, it is estimated that about 250 Madrasas/Maktabs would be assisted during the Eighth Five Year Plan.

5. ELIGIBILITY CONDITIONS :

1. Voluntary organisations/societies/trusts which are registered under central or state Govt. Acts or Wakf Boards shall be eligible to apply for assistance under the scheme.

2. Only those voluntary agencies which have been in existence for three years would be considered for assistance under this scheme.

3. Such voluntary organisations should :

— have a proper constitution of Articles of Association;

— have a properly constituted managing body with its powers and duties clearly defined in the constitution;

— be in a position to secure the involvement, on voluntary basis, of knowledgeable persons for furtherance of their programmes;

— not be run for the profit of any individual or a body of individuals;

- संगठन को किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह के विरुद्ध भाषा अथवा लिंग आदि के आधार पर भेदभाव रहित होना चाहिए ।
- यह संगठन किसी भी राजनीतिक दल के हितों को बढ़ावा देने के लिए संचालित न हो ।
- संगठन को किसी भी रूप में सांप्रदायिक सामंजस्य को भंग करने वाला नहीं होना चाहिए ।

6. कार्यान्वयन तथा अनुवीक्षण

यह योजना केन्द्रीय योजना के रूप में राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाएगी । इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी । नियमानुसार वित्तीय सहायता के सभी आवेदन-पत्र निर्धारित आवेदन प्रपत्र में राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त किए जायेंगे । राज्य स्तरीय सहायता-अनुदान समितियों द्वारा इन आवेदन-पत्रों पर उनके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा ।

सहायता प्राप्त करने वाले मदरसों की संख्या, लाभान्वित होने वाले कुल छात्रों की संख्या तथा मदरसों द्वारा प्राप्त की गई राशि तथा खर्च की गई राशि के बारे में अनुवीक्षण रिपोर्ट प्रतिवर्ष शिक्षा विभाग, भारत सरकार को भेजी जाएगी । इस योजना के चालू होने के तीन वर्ष पूरा होने पर योजना के निष्पादन की समीक्षा की जाएगी ।

वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए संगठनों की निर्धारित आवेदन प्रपत्र (अनुबंध–1) में आवेदन करना होगा ।

आवेदन पत्र राज्य/संघ शासित क्षेत्र के शिक्षा सचिव जो राज्य/संघ शासित क्षेत्र में सहायता अनुदान समिति के अध्यक्ष होंगे, को संबोधित होंगे ।

- शिक्षा सचिव यदि चाहे तो अपने स्थान पर अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए किसी अधिकारी को भी मनोनीत कर सकते हैं ।
- समिति के अन्य सदस्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे :—
- शिक्षा विभाग, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि
- मदरसा शिक्षा प्रबंध/बोर्ड के एक/दो प्रतिनिधि
- एक प्रख्यात शिक्षाविद ।

— not discriminate against any person or group of persons on the ground of language or sex, etc.

— not function for the furtherance of the interests of any political party;

— not in any manner incite communal disharmony.

6. IMPLEMENTATION AND MONITORING :

The scheme will be implemented by the State Governments as a Central Scheme under which 100% financial assistance will be provided to state Governments for implementation of this scheme. All requests for financial assistance shall, as a rule, be entertained by the State Governments on the prescribed application forms. These will be considered on merits by the State level grant-in-aid committees.

Monitoring report regarding the number of Madrasas receiving assistance, total number of beneficiary students and the amount received and utilised by the madrasas, shall be furnished to the Department of Education, Govt. of India on annual basis. The performance of the scheme may be reviewed after completion of three years of its operation.

Organisations requesting for financial assistance will apply on the prescribed APPLICATION FORM. (ANNEXURE-I).

— The application will be addressed to the Education Secretary in the State/UT, who will be the Chairperson of Grant-in-Aid committee in the State/UT.

— Education Secretary can also nominate any officer to act as Chairperson in his place if he/she so desires.

Other members of the committee will include :

— One representative from the Department of Education, Government of India.

— One/two representatives from Madrasa Education Management/Board.

— One eminent educationist.

इन बैठकों में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधियों का मनोनयन करने वाले संबंधित विभाग/संस्थाओं/संगठन द्वारा यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता का वहन किया जाएगा ताकि ये प्रतिनिधि सहायता-अनुदान समिति की बैठकों में भाग ले सकें।

केवल उन्हीं संगठनों/संस्थाओं को अनुदान दिया जाएगा जिन्होंने केन्द्रीय/ राज्य सरकारों से प्राप्त सभी सहायता अनुदानों के पिछले एक वर्ष के विधिवत् प्रमाणित अद्यतन लेखा विवरण प्रस्तुत किए हों।

केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा निरीक्षण की मांग करने पर संगठन के कार्यकलापों का लेखा-जोखा उपलब्ध होना चाहिए।

टिप्पणी : 1. आवश्यकतानुसार योजना संशोधित की जा सकती है।

2. चूंकि यह योजना पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर कार्यान्वित की जाएगी अतः किसी संगठन/व्यक्ति द्वारा स्थायी लाभग्राही के रूप में उसके किसी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

TA/DA to attend these meetings will be borne by the concerned Deptt./Institutions/Organisations nominating their representative to attend the Grant-in-Aid Committee meetings.

The grant will be admissible to only those organisations/institutions who will submit the updated statement of accounts for all the grant-in-aids received by them from central/State governments for the preceding one year duly certified.

The accounts/records of activities of the organisation shall be available on demand for inspection to Central/State Government.

N. B. 1. The scheme may be revised as and when necessary.

2. No claim will be entertained from any organisation/individual for consideration as a permanent beneficiary since the scheme will be implemented on purely voluntary basis.

अनुबन्ध I

(दो प्रतियों में प्रस्तुत करें)

(मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने की योजना)

आवेदन पत्र

भाग–1

(आवेदक द्वारा भरा जाये)

1. मदरसा चलाने वाले संगठन/समिति का नाम (पूरा पता सहित) ————————

2. वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले मदरसे का नाम और पता ————————

3. लक्ष्य और कार्यकलाप [मदरसा (सों) को चलाने वाले संगठन/समिति का संक्षिप्त ब्यौरा दें] ————————

4. इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले मदरसों के विशिष्ट कार्यकलाप ————————

5. क्या केन्द्रीय या राज्य वक्फ अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं ? यदि हां तो पंजीकरण सं० (पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करें) ————————

6. क्या वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे मदरसों में (विज्ञान/भौतिकी, रसायन जीव विज्ञान और गणित इत्यादि) विषयों के शिक्षण में कोई अनुभव है ? यदि हाँ तो कक्षाओं और पढ़ाए जाने वाले विषयों को दर्शाने वाला संक्षिप्त विवरण दें। ————————

7. मदरसे के बारे में आधारभूत विवरण

(क) क्या मदरसा स्वयं या किराए के भवन में स्थित है ? ————————

ANNEXURE-I

(To be submitted in duplicate)

(Scheme of Financial Assistance to Voluntary Organisations for Modernisation of Madrasa Education).

APPLICATION FORM

PART I

(To be filled by the applicant)

1. Name of Organisation/Society running the Madrasas (With complete address) : _____
: _____

2. Name with address of the Madrasa seeking Financial Assistance : _____
: _____

3. Objects and activities [give brief history of the organisation/society running the Madrasas(s)] : _____
: _____
: _____

4. Specific activities of the Madrasa seeking financial assistance under the scheme : _____
: _____
: _____

5. Whether registered under central or state WAKF Acts ? If yes, Regn. No. (A copy of the registration certificate may be attached) : _____
: _____
: _____
: _____

6. Whether the Madrasa seeking financial assistance has any experience in teaching of science (Phy., Chem., Bio., & Maths etc.) subjects ? : _____
: _____
: _____
: _____

If so, brief description may be made indicating classes & subjects taught. : _____
: _____

7. Infrastructure details regarding Madrasa :

(a) Whether the Madrasa is located in its own or rented building ? : _____
: _____

(ख) शिक्षण और प्रशासन उद्देश्य के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या

(ग) क्या विद्यमान स्थान परम्परागत और आधुनिक विषयों के शिक्षण के लिए उपयुक्त है ?

(घ) क्या मदरसे में विज्ञान प्रयोगशाला इत्यादि के लिए अलग कमरा (कमरे) है [केवल माध्यमिक स्तर के मदर से (सों) के लिए लागू होता है] ?

(ङ) आधुनिक विषयों के शिक्षण के लिए पहले से कार्य कर रहे अपेक्षित अर्हता वाले शिक्षकों की संख्या (विषयवार विवरण दें)
(अलग से कागज संलग्न किया जा सकता है)

(च) आधुनिक विषयों के शिक्षण के लिए अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षकों की संख्या (विषयवार विवरण दें)

8. कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अपेक्षित राशि :

– (शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विषयवार विवरण दें)

– प्रयोगशाला सहायक/परिचर की नियुक्ति :
प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति केवल माध्यमिक/ उच्चतर माध्यमिक स्तर के मदरसे में की जा सकतीं है।

– केवल माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में प्रयोगशाला सहचर (लैब ब्वाय) परिचर की नियुक्ति

अपेक्षित कुल धनराशि :

(ये नियुक्तियां संविदा आधार पर की जाएं। इस योजना में संवर्ग या नियमित नियुक्तियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है)।

(b) No. of rooms available for teaching & admn. purpose. : _____
: _____

(c) Is the present accommodation sufficient for the teaching of traditional as well as modern subjects ? : _____
: _____
: _____

(d) Whether the Madrasa has a separate room(s) for science LAB. etc. [applicable only for secondary level Madrasa(s)] ? : _____
: _____
: _____

(e) No. of teachers already working with requisite qualification for teaching modern subjects. (Subject wise break up may be mentioned) : _____
: _____
: _____
: _____
(EXTRA SHEET CAN BE ATTACHED).

(f) No. of additional teachers required for teaching modern subjects. (Subject wise breakup may be mentioned). : _____
: _____
: _____

8. Appointment of Staff :

(a) Amount required for

—appointment of teachers. (Subject wise break-up should be mentioned) : _____
: _____

—appointment of Lab. Asstt./Attend. (Lab. Asstt. can be appointed only in secondary/Sr. Sec. level Madrasa). : _____
: _____
: _____

—appointment of Lab Boy/Attendant only in case of Secondary/Senior Secondary schools. : _____
: _____
: _____

Total amount required. : _____

(These appointments may be on contract basis. This scheme does not provide any provision for a cadre or regular appointments. These are purely on term basis).

9. प्रयोगशाला उपकरण इत्यादि :
इनके लिए अपेक्षित राशि

- उपकरण ——————
- विज्ञान किट ——————
- उपभोग्य मदें और रसायन ——————
- लकड़ी की अलमारी ——————
- लकड़ी का डिब्बा (बे) ——————
- विज्ञान शिक्षक की मेज और कुर्सियां अन्य वस्तुएं अपेक्षित कुल राशि ——————

(यदि स्थान कम है तो आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए अतिरिक्त कागजों को लगाया जा सकता है)

10. 8 और 9 मद में शामिल न की गई कोई अन्य मद (मदों) के लिए अपेक्षित राशि ——————

11. अपेक्षित कुल राशि (8+9+10) ——————

12. क्या मदरसे को किसी अन्य संसाधन से आधुनिक विषयों के शिक्षण के लिए कोई वित्तीय सहायता मिल रही है। यदि हां तो राशि बताएं ——————

13. सरकार से अनुरोध की गई सम्पूर्ण राशि (11–12) ——————

तारीख————————

स्थान————————

अध्यक्ष/सभापति/सचिव के हस्ताक्षर

भाग–II

(सहायता अनुदान समिति की सिफारिश)

आवेदन की जांच कर ली गई है और यह प्रमाणित किया जाता है कि यह संगठन सहायता के लिए उपयुक्त है और आवेदन किए गए कार्यक्रम को करने में सक्षम है ।

(सदस्य सचिव के हस्ताक्षर)

NIEPA
G3780

9. Lab. equipments etc.

Amount required for

—Equipments : ______________

—Science kit : ______________

—Consumable items & Chemicals : ______________

—Wooden Almirah : ______________

—Wooden Box(s) : ______________

—Science Teacher's table & chairs : ______________

—Any other items : ______________

Total amount required (If the above space is not sufficient, extra sheets may be added duly signed by a person signing the application form). : ______________

10. Amount required for any other item(s) not included in item 8 & 9. : ______________

11. Total amount required (8+9+10). : ______________

12. Whether the Madrasa is getting any financial assistance for teaching of modern subjects from any other source. If so, the amount may be mentioned. : ______________

13. Net amount requested from Govt. (11-12). : ______________

Date______________ Signature of

Place______________ President/Chairman/Secretary,

PART-II

(RECOMMENDATION OF THE GRANT-IN-AID COMMITTEE)

The application has been examined and it is certified that the organisation is eligible for assistance and has the capability of taking up a programme applied for.

(Signature of the Member Secretary)

G-3780